


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या 320/2013.....जिला.....बीकानेर.....

उनवान- श्री पत्नी श्री सुनील कुमार, महर्षि गौतम चौक भीनासर, जिला बीकानेर बनाम राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक, बीकानेर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.02.2015	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मनोहर पुरी – सदस्य</u></p> <p>अप्रार्थी विभाग की ओर से श्री अनिल पोखरणा, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थी अभिभाषक श्री बद्रीप्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. प.2(6)वित्त/कर/2014 -143 दिनांक 16.12.2014 का लाभ लेने हेतु प्रस्तुत निगरानी को विद्झा करने हेतु निवेदन किया गया। विद्धान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को विद्झा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर निगरानी विद्झा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 320/2013 जरिये विद्झा खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">                       (मनोहर पुरी)                      सदस्य                 </p>	